

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०कं० 27 / 2014 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 18.02.2014

1. महादेवी पत्नी मानसिंह, उम्र 66 वर्ष
  2. मानसिंह पुत्र परसोले, उम्र 70 वर्ष
- निवासी ग्राम पुर परगना व जिला भिण्ड  
-----अपीलान्त

बनाम

1. महिला कमला पत्नी चन्द्रपाल सिंह  
निवासी ग्राम पुर, हाल बस स्टेण्ड के  
पास भिण्ड म०प्र०  
-----असल रिस्पोण्डेन्ट
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड  
----- तरतीव रिस्पोण्डेन्ट

अपीलार्थीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी कं०1 द्वारा श्री एस०एस०श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी कं०2 विचारण न्यायालय में एक पक्षीय ।

—:: नि र्ण य ::—

// आज दिनांक 12-07-2016 को खुले न्यायालय में घोषित //

01. अपीलार्थीगण के द्वारा वर्तमान अपील प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भिण्ड, पीठासीन अधिकारी श्री अजय नील करोठिया के द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 15ए/2013 ई०दी० महादेवी बनाम कमलादेवी आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2014 से व्यथित होकर पेश की है,

02. यह अविवादित है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1232 रकवा 0.50, 1327 रकवा 0.58 कुल 2 किता रकवा 1.08 हे० ग्राम पुर तहसील एवं जिला भिण्ड में स्थित है।

उक्त भूमियों का इंदलसिंह के हक में रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र लिखा गया था। प्रकरण के आगे के पदों में अपीलार्थीगण को वादीगण एवं प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादिया के रूप में संबोधित किया जायेगा।

03. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया का दावा संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड स्थिति सर्वे नम्बर 1232 रकवा 0.50 एवं सर्वे नम्बर 1329 रकवा 0.58 कुल किता 2 जुमला रकवा 1.08 हे0 वादिया के पिता परशराम उर्फ परसोले पुत्र ओछे के नाम से राजस्व दस्तावेजों में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज थी। उक्त भूमि को वादीगण ने अपने पिता परसोले से अपने नावालिग पुत्र इंदलसिंह के नाम वर्ष 1987 में क़य किया था। वादीगण के इंदलसिंह की मृत्यु पश्चात् वादीगण मृतक इंदल सिंह के माता पिता होने से वादग्रस्त भूमि के वैधानिक वारिस होते हैं। इंदलसिंह की मृत्यु हो जाने से वादीगण के भाई शिवसिंह तथा उसके लडकों ने उनकी जमीन हडपने के उद्देश्य से प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादीगण के पुत्र की पत्नी बताकर तथा वादी क्रमांक 2 का फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर बंदोवस्त अधिकारी से सांठ गांठ कर उसके नाम से नामांतरण करा दिया। जबकि वादी के पुत्र की शादी प्रतिवादी क्रमांक 1 से नहीं हुई, जबकि चन्द्रपाल पुत्र शिवसिंह से उसकी शादी हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 आए दिन वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने और सम्पत्ति हस्तांतरित करने की धमकी देती है, जबकि वादीगण इंदल सिंह के जीवनकाल से और उसकी मृत्यु उपरांत से निरंतर वादग्रस्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं। पूर्व में प्रकरण क्रमांक 89/97 प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड के समक्ष पेश किया था जो कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त हुआ था और निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2016 को निरस्त कर दी गई। वर्तमान प्रकरण में पूर्व के प्रकरण का कोई प्रभाव नहीं है और न ही कानून से वाधित है और दिनांक 30.03.2009 को वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य से प्रतिवादी द्वारा इन्कार किये जाने पर तथा धमकी दी जाने के कारण दावा प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया गया है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादी के दावा के अभिवचनों को इन्कार करते हुए यह बताया है कि प्रतिवादी की शादी विधिवत हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार इंदलसिंह के साथ सम्पन्न हुई थी और दोनों पति पत्नी के रूप में रहे। इंदलसिंह के हक में बिक्रयपत्र पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर निष्पादित किया गया था जिस कारण वादग्रस्त भूमि इंदलसिंह की स्वअर्जित संपत्ति है और प्रतिवादी उनकी वैध उत्तराधिकारिणी है और इंदलसिंह की मृत्यु के उपरांत ही प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण किया गया है, उसके द्वारा कोई भी फर्जी अंगूठा नहीं वनबाया गया है और न ही बंदोवस्त अधिकारियों से कोई सांठ गांठ की गई है और प्रतिवादी अपने पति इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर भरण

पोषण कर रही है। कृषि भूमि के संबंध में धारा 164 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी एक मात्र उत्तराधिकारिणी है और प्रतिवादी द्वारा चन्द्रपाल नामक व्यक्ति से कोई विवाह नहीं किया है। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं आधारों पर दावा पेश किया गया था और उन्हीं आधारों पर पुनः वर्तमान दावा पेश किया गया है जो कि कानूनी रूप से दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा वादीगण को कोई धमकी नहीं दी गई है। विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादिया क्रमांक 1 का ही आधिपत्य उसके पति की मृत्यु के पश्चात् चला आ रहा है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इंदलसिंह की सम्पत्ति की एक मात्र उत्तराधिकारी होना बताते हुए दावा उसे तंग एवं परेशान करने हेतु पेश करना बताते हुए दावा प्रतिकर आरोपित करते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. विचारण न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वादप्रश्न निर्मित किये गए हैं जो कि उक्त दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर वादप्रश्नों पर निष्कर्ष अंकित करते हुए वादप्रश्नों पर निष्कर्ष निकालते हुए वादीगण का दावा प्रमाणित होना न पाते हुए दावा निरस्त किया गया है।

06. अपीलार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के प्रतिकूलित होने के संबंध में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के संबंध में उचित रूप से विचार किये बिना और उन पर गलत रूप से निष्कर्ष निकालते हुए मन माने तरीके से वादीगण का दावा निरस्त किया गया है। प्रतिअपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 चन्द्रपाल की पत्नी होने के संबंध में सभी प्रमाण हैं जिसका कोई खण्डन भी नहीं हुआ है, किन्तु इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय के द्वारा उसे न मानने में वैधानिक भूल की है। बंदोवस्त अधिकारी के यहाँ वादी का अंगूठा लगा हुआ आवेदनपत्र जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य है उस पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा विचार न करने में वैधानिक भूल की है। विचारण न्यायालय के द्वारा डी.एन.ए. टेस्ट कराए जाने के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र को भी अवैधानिक रूप से निरस्त किया गया है जो कि इस संबंध में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करते हुए इस आशय का आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के इंदलसिंह की विवाहित पत्नी होने के संबंध में प्रमानन का भार प्रतिवादिया का था, इस संबंध में उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश न करने के उपरांत भी न्यायालय के द्वारा गलत आधारों पर निष्कर्ष निकालते हुए वादीगण के दावे को निरस्त किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से उसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. प्रतिअपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप या

फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

08. वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—

1. क्या वादीगण का वादग्रस्त भूमियों पर स्वर्गीय इंदलसिंह के वारिस होने से एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्य निहित है?
2. क्या प्रतिवादिया क्रमांक 1 इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी न होकर चन्द्रपाल की पत्नी है? यदि इंदलसिंह की पत्नी है तो वादग्रस्त भूमि पर उसके क्या अधिकार हैं?
3. क्या वादीगण का दावा अवधि बाधित एवं कानूनी रूप से वर्जित है?
4. क्या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2014 में हस्तक्षेप किये जाने हेतु कोई न्यायसंगत आधार है?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

09. अपीलार्थी/वादीगण अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि ग्राम पुर स्थित वादग्रस्त भूमियाँ वादी की पैत्रिक कृषि भूमि है जो कि वादी मानसिंह के पिता परसोले के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। वादी के पिता के द्वारा वादी के लड़के इंदलसिंह के हक में बिक्रयपत्र सम्पादित किया गया था। इंदलसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी वादीगण जो कि उसके माता पिता हैं उन्हें उसकी भूमि उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होगी। इंदलसिंह का विवाह नहीं हुआ था। प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवाह इंदलसिंह के साथ नहीं हुआ है, बल्कि वह चन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह निवासी ग्राम पुर की पत्नी है, उसे वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष फर्जी व अवैधानिक रूप से कार्यवाही करते हुए नामांतरण कराने की कार्यवाही की गई है, जबकि इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके मात्र एक उत्तराधिकारी वादीगण है। पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा जो व्यवहारवाद प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया गया था जो कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त हुआ, किन्तु उक्त व्यवहारवाद प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त होने के कारण उसका कोई भी प्रभाव वर्तमान प्रकरण पर नहीं पड़ता है। उक्त व्यवहारवाद में वादिया महादेवी पक्षकार भी नहीं थी।

10. प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त



सम्पत्ति इंदलसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है और प्रतिवादिया क्रमांक 1 उसकी विवाहिता पत्नी है और विवाहिता पत्नी होने के कारण वह उसकी एक मात्र वैध उत्तराधिकारिणी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार उसकी एक मात्र वैध उत्तराधिकारिणी वह हुई और इस कारण उसका नाम राजस्व अभिलेख में उचित रूप से नामांतरण किया गया है। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं आधारों पर दावा पेश किया गया था जो कि निरस्त हुआ है। उन्हीं आधारों पर पुनः वादीगण दावा पेश करने से वर्जित है, उनका दावा अवधि बाधित व अप्रचलनीय है।

11. वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम पुर में स्थित है। उक्त भूमि का बिक्रय परसोले के द्वारा इंदलसिंह के हक में करना वादी मानसिंह वा०सा० 1 के द्वारा बताया गया है। इस संबंध में भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 5 तथा बिक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 2सी से भी इस बात की पुष्टि होती है कि बिक्रयपत्र से उक्त भूमि प्राप्त की है। यद्यपि परसोले वादी मानसिंह का पिता है, किन्तु परसोले के द्वारा अपनी भूमि बिक्रयपत्र के द्वारा इंदलसिंह को रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र दिनांक 21.09.1987 के जरिए बिक्रय की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति इंदलसिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति होना पाया जाता है।

12. इंदलसिंह की मृत्यु हो जाने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। जो कि इंदलसिंह की मृत्यु सन् 1992 में हुई थी। विवादित कृषिभूमि जो कि इंदलसिंह के स्वत्व व आधिपत्य की थी, उसकी मृत्यु के पश्चात् उस पर स्वत्व एवं आधिपत्य का विवाद है। वादीगण के द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादिया क्रमांक 1 का विवाह चंद्रपालसिंह के साथ हुआ था और वह चंद्रपाल की पत्नी है, उसका विवाह इंदलसिंह के साथ कभी भी नहीं हुआ था। जबकि प्रतिवादिया कमलादेवी के द्वारा यह बताया गया है कि उसका विवाह इंदलसिंह के साथ हुआ था और वह इंदलसिंह की पत्नी है। इस प्रकार मुख्य रूप से विवाद यह है कि क्या प्रतिवादिया कमलादेवी इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी न होकर चंद्रपालसिंह की विवाहिता पत्नी है?

13. उपरोक्त संबंध में वादी मानसिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि उसके पुत्र मानसिंह का विवाह कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 1 कमलादेवी के साथ नहीं हुआ था। इस बिन्दु पर साक्षी के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि यदि विवाह होना स्थापित किया भी जाए तो प्रतिवादी के मृतक इंदलसिंह की उत्तराधिकारी के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने करीब 21 साल पूर्व चंद्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह के साथ विवाह कर लिया है जिससे कि दो पुत्र व एक पुत्री उत्पन्न हो गई है। वादी के द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत पुर की वर्ष 2005 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 3 तथा पप्पू पुत्र चंद्रपालसिंह नरवरिया का जन्मप्रमाणपत्र प्र.पी. 4 इस संबंध में पेश किया गया है। इसके

अतिरिक्त वादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी सुरेन्द्रसिंह वा०सा० 2 के द्वारा भी कमलादेवी की शादी चन्द्रपालसिंह के साथ करीब 21 साल पूर्व ग्राम जमसारा में सम्पन्न होनी और उसके दो पुत्र व एक पुत्री होना बताया है। इसी प्रकार का कथन साक्षी गंगासिंह वा०सा० 3 के द्वारा भी किया गया है। साक्षी अनिल शर्मा वा०सा० 4 जो कि विहारी बाल मंदिर विद्यालय का प्राचार्य है के द्वारा चन्द्रपालसिंह के पुत्र प्रवेन्द्रसिंह नरवरिया का शाला त्याग प्रमाणपत्र को प्रमाणित करते हुए यह बताया है कि उक्त छात्र के पिता का नाम चन्द्रपालसिंह सिंह नरवरिया और माँ का नाम कमलादेवी अभिलेख एवं विद्यालय के द्वारा दिए गए विलेख प्र.पी. 9, 10, 11 में उल्लेखित है। इसी निदु पर एस.के. श्रीवास्तव अ०सा० 5 प्राचार्य राजेन्द्र कॉन्वेंट विद्यालय भिण्ड के द्वारा प्रवेन्द्रसिंह के उनके विद्यालय में भर्ती होने और अध्ययनरत रहने और उसकी अंकसूची पेश कर यह बताया है कि उसके पिता का नाम चन्द्रपालसिंह नरवरिया और माँ का नाम कमलादेवी अभिलेख में उल्लेखित है।

14. उपरोक्त बिन्दु पर प्रतिवादी कमलादेवी प्र०सा० 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उसकी शादी विधिवत हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक इंदलसिंह के साथ सम्पन्न हुई थी और उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में रहे और उसके पति की शादी के पश्चात् मृत्यु हो गई। प्रतिवादिया के द्वारा इस संबंध भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.डी. 3 व 4 जिसमें कि उसका नाम इंदलसिंह की वैवा के रूप में दर्ज है एवं किस्तबंद खतोनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 5, खसरा प्र.डी. 6, 7, 8, सिंचाई की आपासी रसीद प्र.डी. 10, 11, सहकारी बैंक मर्यादित भिण्ड की खाद रसीद प्र.डी. 12, 13 एवं तहसील भिण्ड के द्वारा भेजे गए नोटिस प्र.डी. 14, डिमाइण्ड नोटिस प्र.डी. 15, व्यवहार न्यायालय में मानसिंह के द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 16, उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 17 एवं उपरोक्त प्रकरण में भेजे गए प्रतिवादिया को नोटिस की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 18 तथा दायरा रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 19 वादिया के द्वारा पेश किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी को पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से बताई कि उसकी शादी सन् 1991 में हुई थी, चन्द्रपालसिंह से उसकी शादी होने से साक्षिया ने साफतौर से इन्कार किया है।

15. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी भावसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 तथा दशरथ प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 4 ने भी प्रतिवादिया कमलादेवी का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार इंदलसिंह के साथ सम्पन्न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षी जो कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों के रिस्तेदार हैं उनके द्वारा किसी प्रकार प्रतिवादिया से हितबद्ध होकर उसके पक्ष में कोई कथन किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है।

16. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी के द्वारा अपने अभिवचन की कंडिका 2 में यह अभिवचन किया है कि यदि प्रतिवादिया कमला का विवाह इंदलसिंह से होना स्थापित हो भी जाए तो उसे इंदलसिंह की उत्तराधिकारी के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा चन्द्रपालसिंह से बाद में शादी कर ली गई थी और इसी प्रकार अभिवचन कंडिका 5 में भी उक्त आशय का अभिवचन किया गया है एवं अपने साक्ष्य के शपथपत्र में भी कंडिका 2 में इसी प्रकार का कथन साक्षी के द्वारा किया गया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण कंडिका 16 में मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में यह लिखाना कि यदि इंदलसिंह का कमला के मध्य विवाह होना स्थापित हो भी जाए तो इंदलसिंह से उत्तराधिकार के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने 21 वर्ष पूर्व चन्द्रपालसिंह पुत्र शिवसिंह से शादी कर ली थी। इस प्रकार इस बिन्दु पर साक्षी अपने अभिवचन एवं मुख्य परीक्षण में किये गए कथन व लिए गए आधारों से विपरीत कथन कर रहा है ऐसा परिलक्षित होता है। वादी इस संबंध में सही तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस बिन्दु पर उसके द्वारा किए गए वैकल्पिक अभिवचनों जिसमें कि एक तरफ वह प्रतिवादिया कमलादेवी को इंदलसिंह से विवाहित होने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर रहा है तथा दूसरी ओर वैकल्पिक रूप से यह भी अभिकथन कर रहा है कि यदि उसे इंदलसिंह की पत्नी होना प्रमाणित हो भी जाता है तब भी वह पुनर्विवाह अन्य व्यक्ति के साथ करने के कारण उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है। यद्यपि पक्षकारों को वैकल्पिक अभिवचन करने का अधिकार है, किन्तु वैकल्पिक अभिवचनों में से एक बिन्दु पर स्टेण्ड करना होगा, जबकि वादी अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में भी वैकल्पिक रूप से कथन करना स्पष्ट होता है जो कि इस बात की ओर इंगित करता है कि वह सही तथ्य को सामने नहीं आने दे रहा है।

17. वादी मानसिंह के द्वारा पूर्व में विवादित भूमियों के संबंध में एक दावा प्रतिवादिया के विरुद्ध पेश किया है जो कि इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहारवाद की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 16 है, उक्त प्रकरण जो कि वादी की अनुपस्थिति में दिनांक 02.01.2000 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 17, उपरोक्त व्यवहारवाद में वर्तमान प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी को भेजा गया समंस की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 18 तथा न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहारवाद के संबंध में दायरा रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 19 पेश की गई है। दायरा रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 19 से स्पष्ट है कि वर्तमान दावे के वादी मानसिंह के द्वारा व्यवहारवाद प्रतिवादिया कमलादेवी के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् पेश किया गया है, जिसमें कि उसके पति का नाम वैवा इंदलसिंह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है तथा उक्त व्यवहारवाद में जारी समंस प्र.डी. 18 में भी कमलादेवी के पति वैवा इंदलसिंह निवासी



ग्राम पुर के नाम पर समंस जारी हुआ है। यद्यपि उक्त व्यवहारवाद में बाद में इंदलसिंह का नाम काटकर चन्द्रपालसिंह को पति के रूप में उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त संशोधन कब एवं किस के आदेश के द्वारा किया गया है ऐसा कहीं भी वादपत्र की सत्यप्रतिलिपि में उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में स्वयं वादी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दावे में प्रतिवादिया को इंदलसिंह की वैवा के रूप में दर्शाया गया है जो कि इस संबंध में वादी के द्वारा इस तथ्य को कि कमलादेवी इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी है की स्वाकारोक्ति के प्रकार का है।

18. इस प्रकार वादी के द्वारा लिया गया यह आधार कि प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है, बल्कि चन्द्रपालसिंह की विवाहिता पत्नी है का तथ्य प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में भारतीय समाज में साधारणतः कोई महिला स्वयं को किसी दूसरी व्यक्ति की पत्नी जिसकी कि मृत्यु हो चुकी हो जबरन कहा जा रहा हो ऐसी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रतिवादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जो कि स्वयं वादी के द्वारा प्रस्तुत अभिवचन एवं स्वीकारोक्ति दस्तावेज एवं मुख्य परीक्षण से प्रबल प्रकार का है।

19. अपीलार्थी/वादी के द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा एक आवेदनपत्र प्रतिवादिया कमलादेवी एवं उसके पुत्र व पुत्री एवं पति का डी.एन.ए. टेस्ट कराया जाने बावत् पेश किया था जो कि विचारण न्यायालय के द्वारा गलत आधारों पर निरस्त किया गया है। उक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि वादीगण के द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 103, 104 एवं धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं धारा 151 सी. पी.सी. दिनांक 09.10.2013 को निराकरण किया जाकर आवेदनपत्र निरस्त किया गया है जो कि वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से पलटा भी नहीं गया है। डी.एन.ए. टेस्ट का जहाँ तक प्रश्न है, यह पैत्रिकता के निर्धारण हेतु किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में पैत्रिकता का निर्धारण किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रतिवादिया क्रमांक 1 की वैवाहिक स्थिति के संबंध में विवाद है जो कि इस संबंध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से ही निराकृत किया जा सकता है। जैसा कि इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा भी अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में डी.एन.ए. टेस्ट कराया जाने हेतु आदेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

20. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य से वादी पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है, बल्कि वह चन्द्रपालसिंह की विवाहिता पत्नी है का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि उनके साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होने का तथ्य प्रमाणित होना पाया जाता है।



21. वादग्रस्त भूमियाँ खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.50 एवं 1327 रकबा 0.58 जो कि ग्राम पुर परगना व जिला भिण्ड में स्थित है के पूर्व स्वामी का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उक्त भूमि इंदलसिंह की होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इंदलसिंह के द्वारा पूर्व स्वामी परसोले से बिक्रयपत्र दिनांक 21.09.1987 के जरिए उक्त भूमि क्रय की गई है जो कि बिक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 2सी एवं खसरा सम्बत् 2046-2050 की सत्यप्रतिलिपि से स्पष्ट है तथा इस संबंध में भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 5 से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियाँ इंदलसिंह के द्वारा क्रय करने के पश्चात् उसके भू-स्वामित्व की हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सम्पत्ति के पश्चात् इंदलसिंह के द्वारा सन् 1991 में ग्राम मुडियाखेरा की भूमि क्रय की गई है जो कि बिक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 1सी से स्पष्ट होता है। उक्त बिक्रयपत्र वर्ष 1991 का है जिसमें कि इंदलसिंह की उम्र 21 वर्ष उल्लेखित है। प्र.डी. 2 के अनुसार क्रय की गई सम्पत्ति यद्यपि उसकी माँ की सरपरस्ती में क्रय किये जाने का उल्लेख है, किन्तु इंदलसिंह बालिग होने के पश्चात् उसका पूर्ण स्वामी हो जावेगा। इंदलसिंह की मृत्यु हो जाना भी अविवादित है जो कि पक्षकारों के द्वारा किए गए अभिवचनों एवं उनकी स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है।

22. प्रतिवादिया अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि प्रतिवादिया इंदलसिंह की विधवा पत्नी है और इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व कागजातों में उसकी विधवा होने के कारण प्रतिवादिया कमलादेवी का नाम दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेखों में उसका नाम लगातार भूस्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में चला आ रहा है और उसी के द्वारा लगान आदि अदा किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि धारा 164 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के आधार पर प्रतिवादिया को उसके पति की कृषि भूमि पर उसकी एक मात्र वैध उत्तराधिकारिणी होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होगा। वादी पक्ष के द्वारा कभी भी बटवारे की मांग नहीं की गई।

23. उपरोक्त संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा लिए गए आधार और वैधानिक स्थिति पर विचार किया गया जहाँ तक धारा 164 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रश्न है, उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि — “भू-स्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अध्याधीन रहते हुए यथास्थिति विरासत, उत्तरजीविता या वारिस, वसीयत द्वारा सक्रान्त होगा।” इस संबंध में प्रतिवादिया के द्वारा जो आधार लिया गया है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि धारा 164 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के संबंध में म.प्र. संशोधन अधिनियम 1961 के पूर्व की स्थिति इस संबंध में दूसरी थी जो कि मूल धारा में संशोधन सन् 1961 में किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1961 के संशोधन के उपरांत जो कि 08 दिसम्बर, 1961 से लागू हुआ है के पश्चात् भू-स्वामी के हित का उसकी मृत्यु के पश्चात्

अंतरण उसकी स्वीय विधि के अनुसार होगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, इंदलसिंह की मृत्यु सन् 1992 में हुई है, जैसा कि पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है। इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का न्यागमन उसकी स्वीय विधि अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत होगा।

24. वादग्रस्त भूमियों के इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार का जहाँ तक प्रश्न है, सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता है कि इंदलसिंह के द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अपने जीवनकाल में कोई वसीयत किया गया हो ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार उसकी मृत्यु निर्वसीयत होनी पाई जाती है। इंदलसिंह की मृत्यु के समय जीवित उत्तराधिकारी में उसकी पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 1 कमलादेवी तथा उसकी माँ वादिया महादेवी और पिता मानसिंह होना स्पष्ट होता है।

25. इंदलसिंह जो कि हिन्दू पुरुष है जिसकी मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात् होनी स्पष्ट होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति का उत्तराधिकार के न्यागमन (Devolution) की व्यवस्था की गई है। उक्त धारा के अनुसार— निर्वसीयत (Intestate) मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी— (क) प्रथमतः, उन वारिसों (Heirs) को, जो अनुसूची के वर्ग-1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं ; (ख) द्वितीयतः यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं; (ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को, तथा (घ) अन्ततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को।

26. धारा 9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार— अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों को अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरे प्रतिष्ठि मकें के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रतिष्ठि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे कम से अधिमान प्राप्त होगा।

27. धारा 10 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों में सम्पत्ति के वितरण के संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि नियम एक के अनुसार निर्वसीयती के विधवा को या एक से अधिक विधवाएँ हो तो सब विधवाओं को मिलकर एक अंश मिलेगा, नियम 2 के अनुसार निर्वसीयती के उत्तरजीवी पुत्र-पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा।

28. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सङ्ख्य (धारा 8 के संबंध में) वर्ग 1 के

वारिसों में मृतक की विधवा पत्नी और उसे माँ दोनों आती है, जबकि मृतक का पिता वर्ग 2 के वारिसों में आता है। उपर्युक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि यदि वर्ग 1 का वारिस जीवित है तो उन्हें मृतक की सम्पत्ति में बराबर-बराबर हिस्सा उत्तराधिकार के रूप में हक प्राप्त होगा और इस स्थिति में वर्ग 2 के वारिसों को कोई हक प्राप्त नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में मृतक इंदलसिंह की मृत्यु के समय उसकी माँ महादेवी तथा उसकी विधवा पत्नी कमलादेवी और पिता मानसिंह जीवित थे। उसकी विधवा पत्नी कमलादेवी एवं माँ महादेवी मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस हैं, जबकि पिता द्वितीय श्रेणी का वारिस है। ऐसी दशा में पिता को उत्तराधिकार के आधार पर कोई हक प्राप्त नहीं होगा, जबकि मृतक की माँ महादेवी एवं उसकी विधवा पत्नी कमलादेवी जो कि उसकी मृत्यु के समय जीवित एवं मौजूद हैं तथा वर्तमान में मौजूद हैं को उसकी सम्पत्ति का बराबर बराबर अर्थात्  $1/2 - 1/2$  भाग पर उत्तराधिकार के आधार पर हक प्राप्त होगा।

29. वादी पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि कमलादेवी का विवाह इंदलसिंह के साथ हुआ भी था तो भी कमलादेवी के द्वारा इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् पुनर्विवाह चन्द्रपालसिंह के साथ कर लिया गया है जिस कारण उसका इंदलसिंह की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि प्रतिवादिया कमलादेवी के द्वारा इंदलसिंह जिसके साथ कि उसका विवाह हुआ था की मृत्यु (जो कि विवाह के कुछ समय पश्चात् उसके पति की मृत्यु हो गई थी) के पश्चात् जातिगत रीति रिवाजों के अनुसार चन्द्रपाल के साथ रहने लगी थी अथवा उसके साथ पुनर्विवाह कर लिया गया और उनकी संतानें भी उत्पन्न हुईं तो भी प्रतिवादिया का वादग्रस्त भूमि पर हक किसी प्रकार से समाप्त नहीं होगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादिया के पति इंदलसिंह की थी। इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् वर्ग-1 की वारिस होने के नाते उसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के नाते उसके हिस्से के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्त होगा जो कि धारा 15(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवादिया उसको उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से की वह सम्पूर्ण स्वामिनी होगी। यदि प्रतिवादिया के द्वारा दूसरा विवाह प्रथम पति की मृत्यु के बाद कर भी लिया है तो इस आधार पर उसका वादग्रस्त सम्पत्ति से हक समाप्त नहीं होगा।

30. प्रतिवादिया/प्रतिअपीलार्थी के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में भी एक व्यवहारवाद उन्हीं आधारों पर पेश किया गया था जिन आधारों पर वर्तमान दावा पेश किया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में वादीगण को वर्तमान दावा पेश करने हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण का दावा अवधि बाधित है। इसके अतिरिक्त वादीगण का दावा आदेश 2 नियम 2 सी.पी.सी से भी बाधित है एवं आदेश 9 नियम 9 सी.पी.



सी. के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में पूर्व में मानसिंह के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत व्यवहारवाद 64ए/1997 (परिवर्तित नम्बर 89ए/97) की सत्यप्रतिलिपि प्र. डी. 16 उक्त प्रकरण में दिनांक 02.12.2000 को पारित आदेश जिसके अनुसार दावा अदमपैरवी में खारिज हुआ है, की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 17, उपरोक्त प्रकरण में भेजे गए समंस की प्रति प्र. डी. 18 तथा दायरा रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 19 प्रतिवादिया के द्वारा पेश किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों से यद्यपि यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में वादग्रस्त सम्पत्तियों के संबंध में व्यवहारवाद वादी मानसिंह के द्वारा पेश किया गया है जो कि उक्त प्रकरण वादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त हुआ है।

31. उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त व्यवहारवाद में वादिया महादेवी पक्षकार के रूप में नहीं है, जबकि महादेवी को वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार निहित थे। पूर्ववर्ती व्यवहारवाद केवल मानसिंह के द्वारा पेश किया गया था। ऐसी दशा में जबकि वादिया महादेवी न तो पूर्ववर्ती व्यवहारवाद में पक्षकार थी, मात्र इस आधार पर कि वह मानसिंह की पत्नी है यह परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि उसे वाद पेश किये जाने या वाद हेतुक के संबंध में कोई जानकारी थी। इस परिप्रेक्ष्य में यद्यपि मानसिंह के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसे उन्हीं वाद कारणों के आधार पर दावा पेश करने का अधिकार नहीं है, किन्तु निश्चित तौर से वादिया महादेवी पर उक्त वर्जन लागू नहीं होता, उसके संबंध में वर्तमान दावा चलने योग्य पाया जाता है। उसका दावा अवधि बाधित होना भी नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा दावा अवधि बाधित होने व अप्रचलनीय होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है वह उचित नहीं है।

32. वादग्रस्त सम्पत्तियों पर प्रतिवादिया के नामांतरण होने और खसरा आदि में उसका नाम दर्ज होने के परिप्रेक्ष्य में एवं सिंचाई की आपासी व कॉप्रेटिव के रिकार्ड में भी प्रतिवादिया का नाम दर्ज है, उनके अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि प्रतिवादिया का नामांतरण उसके पिता की मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात् हो गया था और उसका नामांतरण के संबंध में वादी मानसिंह को पूर्ण जानकारी थी।

33. इस संबंध में स्वयं वादीगण के द्वारा प्रतिवादिया का नामांतरण वादग्रस्त भूमि पर होना एवं खसरे में उसका नाम अंकित होने के संबंध में दस्तावेज पेश करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि उक्त नामांतरण आदेश के संबंध में सहायक बंदोवस्त अधिकारी हवाई सर्वे भिण्ड को आवेदनपत्र दिया गया है और उन्हीं के द्वारा नामांतरण बावत् आदेश किया गया है। जबकि सहायक बंदोवस्त अधिकारी को नामांतरण करने के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कथित नामांतरण पंजी प्र.पी. 13 में उसके वारिसों को दर्शाया गया है उसमें मृतक इंदलसिंह की माँ को नहीं दर्शाया गया है, जबकि माँ जीवित थी। उक्त



नामांतरण आदेश जो कि विधिवत नहीं है के आधार पर यदि प्रतिवादिया का नाम वादग्रस्त भूमियों पर दर्ज चला आ रहा है तो मात्र राजस्व अभिलेखों में नामांतरण होने या उसका नाम दर्ज होने के आधार पर उसे एक मात्र पूर्ण हक वादग्रस्त सम्पत्तियों पर प्राप्त नहीं होता है। नामांतरण एवं राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता और न ही किसी का स्वत्व इस आधार पर समाप्त होता है।

34. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि प्रतिवादिया के द्वारा किस्तबंद खतोनी वर्ष 2012 प्र.डी. 15, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.डी. 3 व 4 एवं खसरा वर्ष 20120-2013 प्र.डी. 6, खसरा पांच साला सम्बत् 2062-2066 प्र.डी. 7 व खसरा सम्बत् 2052-2056 प्र.डी. 8 में वादिया का नाम खसरा में दर्ज है। आपासी व कॉप्रेटिव की रसीद प्र.डी. 10 लगायत प्र.डी. 15 में भी उसके द्वारा आपासी प्रदान किये जाने और कॉप्रेटिव में संव्यवहार किया जाना दर्शित होता है, किन्तु मात्र राजस्व अभिलेखों में उक्त प्रविष्टि के आधार पर अथवा प्रतिवादिया क्रमांक 1 का नामांतरण होने के आधार पर उसे अकेला ही सम्पूर्ण वादग्रस्त सम्पत्तियों पर पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। इस बिन्दु पर **2015(3) एस0.सी.सी.डी. 1149 (एस.सी.) एच.लक्ष्मय्या रेड्डी एवं अन्य वि0 एल.वेंकटेश रेड्डी** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि नामांतरण के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही एवं आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने से स्वत्व या आधिपत्य प्राप्त होने का अथवा किसी के हक समाप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही और उसके आधार पर प्रविष्टि केवल भू-राजस्व के संग्रह के लिए सुसंगत होती है। इस बिन्दु पर **श्रीमती दक्खोबाई बगैरह वि0 केशरीचंद 1992 जे.एल.जे. 10** में माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि केवल पेंसिल इन्ट्री होती है इसके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वत्व की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

35. वर्तमान प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि प्रवितादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि पर एक मात्र पूर्ण अधिकार व हक प्राप्त नहीं है, बल्कि वादग्रस्त सम्पत्तियों में उत्तराधिकार के आधार पर प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी के साथ साथ वादिया महादेवी का भी समान हित व हक निहित है। इस प्रकार वादिया महादेवी का समान भाग पर स्वत्व वादग्रस्त सम्पत्ति पर विद्यमान होना पाया जाता है।

36. वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्य का जहाँ तक प्रश्न है, चूंकि उक्त सम्पत्ति वादिया महादेवी और प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी के समान हक की पाई जाती है और

उस पर दोनों का समान भाग पर आधिपत्य निहित होना माना जाएगा। वादिया के द्वारा अपने हक का किसी प्रकार से त्याग किया गया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। वादग्रस्त सम्पत्ति की वादिया महादेवी एवं प्रतिवादिया कमलादेवी दोनों सहस्वामी के रूप में है। सहस्वामी का सम्पत्ति पर संयुक्त आधिपत्य माना जाता है जबतक कि बटवारा न हो जाए। सह स्वामित्व के मामले में किसी पक्ष के विरुद्ध आधिपत्य के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रदान की जानी उचित नहीं है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय के द्वारा यदि स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई है तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

37. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि इंदलसिंह की सम्पत्ति है जो कि इंदलसिंह की मृत्यु सन् 1992 में हो चुकी है। इंदलसिंह की मृत्यु के समय उसके जीवित वारिसों में उसकी पत्नी प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी उसकी विवाहिता पत्नी होना पाया गया है, इस प्रकार इंदलसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वर्ग 1 के वारिसों में उसकी पत्नी कमलादेवी एवं माँ महादेवी जो कि प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है उसकी सम्पत्ति का बराबर बराबर भागपर अर्थात्  $1/2 - 1/2$  भाग प्राप्त कर उनका स्वत्व एवं आधिपत्य उस पर निहित होगा। अतः वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी क्रमांक 1232 व 1327 पर इंदलसिंह की मृत्यु के बाद वादी महादेवी एवं प्रतिवादिया कमलादेवी का समान भाग पर अर्थात्  $1/2 - 1/2$  भागपर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना पाया जाता है।

38. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमियों पर इंदलसिंह के वारिस होने के आधार पर एक मात्र वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना नहीं पाया जाता है, बल्कि उस पर प्रतिवादिया क्रमांक 1 कमलादेवी एवं वादिया क्रमांक 1 महादेवी का  $1/2 - 1/2$  भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना पाया जाता है। प्रतिवादिया क्रमांक 1 इंदलसिंह की विवाहिता पत्नी होना पाई जाती है और इस नाते उसे उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्तियों पर वादिया क्रमांक 1 महादेवी के साथ समान भाग पर स्वत्व निहित होना पाया जाता है। वादीगण का दावा अवधि वाधित एवं कानूनी रूप से वर्जित होना भी नहीं पाया जाता है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में उपरोक्तानुसार निष्कर्ष दिए जाते हैं।

39. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में एवं बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में विचारण न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादिया महादेवी का कोई स्वत्व व आधिपत्य न पाए जाने तथा दावा अवधि वाधित एवं अप्रचलन मानने में निश्चित तौर से वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई। अधनीस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं और उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते

हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाए—

1. वादग्रस्त सम्पत्ति आराजी क्रमांक 1232 रकवा 0.50 एवं 1327 रकवा 0.58 कुल दो किता रकवा 1.08 हे. ग्राम पुर तहसील एवं जिला भिण्ड पर वादी क्रमांक 1 महादेवी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 कमलादेवी का बराबर बराबर (अर्थात्  $1/2 - 1/2$  भाग पर) भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य निहित होना घोषित किया जाता है।
2. वादिया क्रमांक 1 महादेवी उक्त अनुसार राजस्व कागजातों को रिकार्ड दुरस्त करने की कार्यवाही संचार कर सकती है।
3. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उभय पक्ष अपना अपना अपील व्यय स्वयं वहन करेंगे।

तदनुसार डिक्री पारित की जाए।

निर्णय खुल न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)